

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04-सुभाष रोड़ देहरादून।

टेलीफोन- 0135-2713551, 2713552 एवं 2713724

Email ID = election09@gmail.com & ceo_uttaranchal@eci.gov.in

संख्या- 1623/XXV - 30 / 2025

दिनांक:

देहरादून 10 नवम्बर, 2025

ई-निविदा शुद्धिपत्र (Corrigendum)

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2025 में निहित प्राविधानों तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा तद्विषयक समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के अधीन निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों/मु.नि.अ. कार्यालय के प्रयोगार्थ जेनसेट आदि उपकरणों की आपूर्ति हेतु निविदा सूचना संख्या-1565 दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 के साथ निविदा संख्या-1564/XXV-30/2025 दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 के क्रम में निविदा शुद्धिपत्र संख्या-1582/XXV-30/2025 दिनांक 27 अक्टूबर, 2025, शुद्धिपत्र संख्या-1583/XXV-30/2025 दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 तथा शुद्धिपत्र संख्या-1621/XXV-30/2025 दिनांक 07 नवम्बर, 2025 के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निम्न प्रकार पुनः आंशिक संशोधन किया जाता है :-

01.	वेबसाईट www.uktenders.gov.in पर नियत शर्तों- निर्देशों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय ई-निविदा ऑन लाईन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	12 नवम्बर, 2025 अपरान्ह 03:00 बजे तक
02.	निर्धारित नियम-शर्तों/निर्देशों के अनुसार तकनीकी ई-निविदा से संबंधित सील्ड लिफाफा जिसमें Tender Fee, EMD, Black Listed न होने का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र आदि अभिलेख मूल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय।	12 नवम्बर, 2025 अपरान्ह 03:00 बजे तक
03.	निविदा समिति/अधिकृत अधिकारियों द्वारा ई-निविदा की तकनीकी निविदा डाऊनलोड कर खोले जाने की तिथि और समय।	12 नवम्बर, 2025 अपरान्ह 04:00 बजे
04.	वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि और समय।	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात अंतिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त सफल निविदा-दाताओं की वित्तीय निविदा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार।



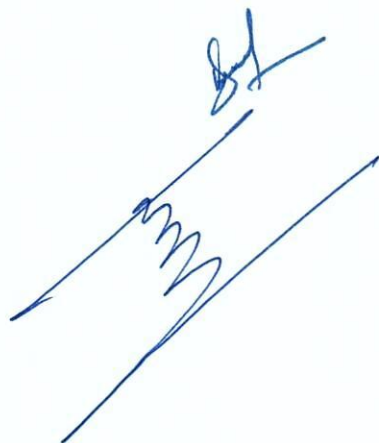






क्र. सं.	मूल निविदा का बिन्दु संख्या एवं विवरण	यथा संशोधित/प्रतिस्थापित
1.	मूल निविदा बिन्दु संख्या-3.1-ई-निविदा दाता एक ऐसी प्रतिष्ठित फर्म होनी चाहिए जिसे विगत चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) में से कम से किसी भी एक वर्ष में, केन्द्र/किसी राज्य सरकार/पी.एस.यू. के अन्तर्गत किसी विभाग/कार्यालय में विभिन्न प्रकार की उल्लिखित सामग्री-उपकरण/जनरल ऑर्डर सप्लाई के संबंध में अपेक्षित गुणवत्तायुक्त सामग्री की आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए। संशोधन के फलस्वरूप बिन्दु संख्या-3.1-ई-निविदा दाता एक ऐसी प्रतिष्ठित फर्म होनी चाहिए जिसे विगत चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) में से कम से किसी भी एक वर्ष में, केन्द्र/किसी राज्य सरकार/पी.एस.यू. के अन्तर्गत किसी विभाग/कार्यालय में इस निविदा में वांछित विभिन्न प्रकार की उल्लिखित सामग्री-उपकरण /गवर्नमेंट ऑर्डर सप्लाई के संबंध में अपेक्षित गुणवत्तायुक्त सामग्री की आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार मूल निविदा में जहां-जहां पर भी जनरल ऑर्डर सप्लाई अंकित है उसके स्थान पर गवर्नमेंट ऑर्डर सप्लाई पढ़ा और समझा जाय।	3.1- ई-निविदा दाता एक ऐसी प्रतिष्ठित फर्म होनी चाहिए जिसे विगत चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) में से कम से किसी भी एक वर्ष में, केन्द्र/किसी राज्य सरकार/पी.एस.यू. के अन्तर्गत किसी विभाग/कार्यालय में इस निविदा में वांछित विभिन्न प्रकार की उल्लिखित सामग्री-उपकरणों /इलेक्ट्रॉनिक/ इलेक्ट्रीकल उपकरणों आदि के समान प्रकृति की गुणवत्तायुक्त सामग्री की आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए।

उल्लिखित विभागीय ई-निविदा 1564/XXV-30/2025 दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 तथा तद्क्रम में समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रों को इस सीमा तक संशोधित समझा और पढ़ा जाय।


 (डा. विजय कुमार जोगदण्डे)
 अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
 उत्तराखण्ड।